छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

नवम्बर-दिसम्बर, 2006 सत्र

गुरुवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2006

तारांकित प्रश्नोत्तर

बी. ई. एस. सी. एल. एवं बी. एस. पी. में कार्यरत ठेका श्रमिकों के संबंध में

1. (*क्र. 309) **श्री भूपेश बघेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बी.ई.एस.सी.एल. एवं बी.एस.पी. में ठेका श्रमिक (अकुशल श्रमिक) कार्यरत हैं ? यदि हां तो कितने-कितने श्रमिक एवं कितने-कितने ठेकेदार कार्य कर रहे हैं ? (ख) क्या ठेकादारों द्वारा श्रमिकों के इन्स्योरेंश पी. एफ. कराया गया है तथा सुरक्षा उपकरण प्रदाय किये गये हैं ? (ग) उपरोक्त सार्वजनिक उपक्रमों में ठेका श्रमिकों को किस-किस दर पर भुगतान किया जाता है तथा भुगतान सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन ने क्या-क्या उपाय किये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी हां. बी.ई.एस.सी.एल. में 2704 ठेका श्रमिक (अकुशल श्रमिक) एवं 21 ठेकेदार तथा बी.एस.पी. में 21588 ठेका श्रमिक एवं 390 ठेकेदार कार्यरत हैं. (ख) जी हां. (ग) सार्वजनिक उपक्रमों में ठेका श्रमिकों को निम्नानुसार भुगतान किया जाना निर्धारित है :—

(1) कुशल श्रमिक रुपये 2694.00 मासिक एवं रुपये 103.61 प्रतिदिन.
(2) अर्द्धकुशल श्रमिक रुपये 2584 मासिक एवं रुपये 99.38 प्रतिदिन.
(3) अकुशल श्रमिक रुपये 2476 मासिक एवं 95.23 प्रतिदिन.
(4) बी.एस.पी. द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ हुये समझौते के अनुरूप रुपये 130.96 प्रतिदिन की दर से मजदूरी भी ठेका श्रमिकों को दी जाती हैं.

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासन द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाता है तथा दोषी पाये जाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है तथा कम वेतन भुगतान पाये जाने पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध दावा प्रकरण श्रम न्यायालय दुर्ग में प्रस्तुत किया जाता है.

प्रदेश की नदियों में एनीकट निर्माण का प्रस्ताव

2. (*क्र. 261) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में कौन-कौन सी प्रमुख नदियों में कुल कितने एनीकट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में प्रदेश के किस-किस स्थान एवं नदी पर एनीकट एवं स्टाप डेम की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है ? कृपया लागत, एजेन्सी एवं कार्य पूरा करने की अवधि सहित जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश "क" वर्णित एनीकट के निर्माण हेतु क्या केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं तो किस कारण से नहीं ली गई है ? (घ) क्या प्रश्नांश "क" में वर्णित एनीकट निर्माण के बाद नदियों में होने वाली सिल्टडिपाजिट एवं कटाव का सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो विवरण देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत महानदी, सोननदी, शिवनाथ, हसदेव, इन्द्रावती, नारंगी, सपनई, बोरई, केलो, मांड आदि प्रमुख नदियों में 562 एनीकट का निर्माण प्रस्तावित है. जानकारी मुख्य अभियंतावार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 में दर्शित है. (ख) वर्ष 2005-06 में 44 एवं वर्ष 2006-2007 में 55 एनीकट/स्टापडेम की स्वीकृति दी गई, एजेंसी एवं पूर्ण करने की अवधि पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 में दर्शित है. (ग) जी नहीं. आवश्यकता नहीं है. (घ) सिल्ट डिपाजिट एवं कटाव रोकने के लिये तकनीकी पहलुओं पर परीक्षण करने के उपरांत आवश्यकतानुसार सिल्ट निकास हेतु द्वारों का प्रावधान किया गया है. कटाव रोकने के लिए पिचिंग का भी प्रावधान किया गया है.

नैला व चांपा मण्डी में वर्ष 2004-05, 2005-06 में हुई आय

3. (*क्र. 222) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में नैला व चांपा मंडी में वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में कितनी आय हुई तथा उसमें से कितने प्रतिशत राशि सड़क विकास हेतु खर्च की गई है ? इसके तहत इन वर्षों में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि खर्च कर विकास कार्य किए गए ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : जांजगीर-चांपा जिले में नैला व चांपा मंडी में वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में हुई कुल आय तथा उसमें से इन मण्डी समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 43 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 के अनुसूची (एक) के अंतर्गत 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क की 50 प्रतिशत राशि ''सड़क विकास'' हेतु नहीं वरन, राज्य विपणन विकास निधि में भेजी गई है, जिसकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. इन वर्षों में इस राज्य विपणन विकास निधि से छत्तीसगढ़ मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 44 में वर्णित प्रयोजनों के लिए छत्तीसगढ़ मण्डी बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा पारित बजट प्रावधानों के अंतर्गत, इन मण्डियों में कराये गये विकास कार्यों का नाम, स्थान एवं व्यय की गई राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''ब'' में है.

माण्ड डायवर्सन योजना अंतर्गत किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

4. (*क्र. 29) **श्री नावेल कुमार वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 171 दिनांक 14 जून, 2004 के उत्तर में जांजगीर-चाम्पा जिले अंतर्गत माण्ड डायवर्सन योजना में कृषकों को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला है यह जानकारी दी गई है ? यदि हां, तो ग्राम का नाम-अधिग्रहित भूमि का रकबा-मुआवजा राशि कितनी-कितनी है ? (ख) कृषकों की जमीन का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम की किन-किन धाराओं के अंतर्गत कब से लंबित है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी नहीं. जांजगीर-चांपा जिले में माण्ड डायवर्सन योजना अंतर्गत कृषकों की अधिग्रहित भूमि का आंशिक भुगतान किया जा चुका है. ग्राम का नाम, अधिग्रहित भूमि का रकबा, मुआवजा राशि एवं भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-I, II एवं प्रपत्र III में दर्शित है. (ख) भुगतान हेतु शेष कृषकों की अधिग्रहित भूमि के भू-अर्जन प्रकरणों की धारा-6 एवं धारा-9 के अंतर्गत तिथिवार लंबित होने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-III में दर्शित है.

उद्योगों में श्रम नियमों एवं सुरक्षा कारकों से संबंधित अधिकारी

5. (*क्र 399) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के उद्योगों में श्रम नियमों एवं सुरक्षा कारकों संबंधी प्रदेश स्तरीय कौन-कौन से अधिकारी पदस्थ हैं. नाम व पदनाम सहित बतावें ? क्या इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं भी निर्धारित है, यदि हां तो क्या-क्या ? (ख) क्या प्रदेश एवं जिला स्तर पर उद्योगों में सुरक्षा जांच के लिए निरीक्षक भी नियुक्त है ? अगर हां, तो इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है एवं शैक्षणिक योग्यताएं क्या निर्धारित है ? (ग) कंडिका ''क'' के पदाधिकारियों में कितने-कितने अधिकारी केन्द्र शासन से प्रतिनियुक्ति से लिए गये हैं और क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) प्रदेश के उद्योगों में श्रम नियमों संबंधी अधिकारी क्रमशः श्री नारायण सिंह (आई.ए.एस.) सचिव श्रम, श्री के. डी. पी. राव (आई. ए. एस.) श्रमायुक्त एवं श्री के. सी. सरोज, मुख्य कारखाना निरीक्षक नियुक्त हैं. श्रम सचिव एवं श्रमायुक्त दोनों पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग के लिए निर्धारित है. मुख्य कारखाना निरीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है. (ख) जी हां. प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर उद्योगों में सुरक्षा जांच हेतु कारखाना निरीक्षक नियुक्त है जिनकी नियुक्ति कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-8 के अंतर्गत शासन द्वारा की जाकर अधिसूचित किया जाता है. कारखाना निरीक्षकों की शैक्षणिक योग्यता छ. ग. कारखाना नियमावली के नियम 18 ''क'' में दिया गया है. जिसके अनुसार बी.ई. की किसी शाखा से डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है. (ग) कोई नहीं.

बिलासपुर जिला में खरीफ एवं रबी फसलों हेतु बीजों का वितरण

6. (*क्र. 316) **श्री चन्द्रभान बारमते :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 में बिलासपुर जिले में खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई हेतु कृषि विभाग द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी प्रजाति के बीज किस-किस दर पर उपलब्ध कराये गये हैं ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) शासन द्वारा (गरीब किसानों को) दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर्गत खरीफ फसल एवं रबी फसल की कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी प्रजाति की मिनीकीट का वितरण किया गया ? विकासखंडवार जानकारी देवें?

† परिशिष्ट ''एक''

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2006-07 में बिलासपुर जिले में खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार बीज उपलब्ध कराया गया है :—

(इकाई क्विंटल में)

क्र.	विवरण	बीज निगम	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र	मिनीकिट	योग
1.	खरीफ 2006	6212.22	722.40	111.15	7045.77
2.	रबी 2006-07	763.90	108.38	286.39	1158.67

खरीफ 2006 एवं रबी 2006-07 में उपलब्ध कराये गये बीज का फसलवार, पजातिवार, विकासखण्डवार विक्रय दर सहित विवरण क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 पर है. मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है. (ख) शासन द्वारा (गरीब किसानों को) दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर्गत बिलासपुर जिले में खरीफ फसल के विभिन्न प्रजाति के 2350 मिनीकिट मात्रा 111.15 क्विंटल एवं रबी फसल के अंतर्गत विभिन्न प्रजाति के 7457 मिनीकिट मात्रा 286.39 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है. खरीफ 2006 एवं रबी 2006-07 में वितरित मिनीकिट का प्रजातिवार, विकासखण्डवार विवरण क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 पर है.

एल. पी. जी. गैस के गोदामों को नगर निगम सीमा से अन्यत्र हटाने हेतु कार्यवाही

7. (*क्र. 301) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी रायपुर में एल.पी.जी. गैस के कितने डीलर हैं, तथा उनके उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है ? (ख) एल.पी.जी. गैस के कितने गोदाम नगर निगम सीमा में स्थित है? (ग) क्या रायपुर में आवासीय क्षेत्र में स्थित एल.पी.जी. गैस डीलर के गोदामों को अन्यत्र हटाने हेतु नागरिकों द्वारा आवेदन/शिकायत कलेक्टर, रायपुर को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) राजधानी रायपुर में एल.पी.जी. के 17 डीलर हैं तथा उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2,74,057 है. (ख) एल.पी.जी. के 14 गोदाम रायपुर नगर निगम सीमा में स्थित है. (ग) जी हां, इण्डेन गैस डीलर के रोहणीपुरम स्थित गोदाम को अन्यत्र हटाने हेतु आवेदन कलेक्टर, रायपुर को प्रस्तुत किया गया है. उपरोक्त आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर, रायपुर द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन को लिखा गया है.

औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष की नियुक्ति की अर्हताएं

8. (*क्र. 404) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है ? अगर हां, तो कब से और किसकी ? (ख) कंडिका "क" के पद हेतु क्या अर्हताएं निर्धारित है ? क्या नियुक्त व्यक्ति इन्हें पूरा करता है ? (ग) क्या कंडिका "क" के संबंध में व्यापक शिकायतें प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी हां. दिनांक 1-8-2002 से श्री धर्मेन्द्र स्वरूप जैन की नियुक्ति हुई है. (ख) जी हां. जी हां. (ग) जी हां. प्रकरण विचाराधीन है, शीघ्र निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

9. (*क्र. 368) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? उक्त दुकानों में से ग्राम पंचायत महिला स्व सहायता समूह एवं सोसायटी को कितनी-कितनी दुकानें आवंटित की गयी हैं ? (ख) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों में प्रत्येक माह मिलने वाली वस्तुओं का वितरण नियमित नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी एवं कौन-कौन सी उचित मूल्य की दुकानें हैं जहां प्रत्येक माह आवश्यक वस्तुएं नहीं बांटी जाती है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 104 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. उक्त दुकानों में से ग्राम पंचायतों को 28, महिला स्व सहायता समूहों को 35 तथा सोसायटियों को 41 दुकानें आवंटित है. (ख) जी नहीं, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों द्वारा प्रतिमाह आवश्यक वस्तुओं का वितरण राशनकार्डधारियों को किया जा रहा है.

नर्मदा घाटी योजना के तहत कराये गये कार्य

10. (*क्र. 19) **श्री देवव्रत सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग के अंतर्गत नर्मदा घाटी योजना के तहत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 (नवंबर, 2006 तक) में राज्य शासन से कुल कितना आवंटन, उप संचालक कार्यालय कृषि राजनांदगांव को प्राप्त हुआ ? किन-किन विकासखंडों के किन-किन ग्रामों में उक्त योजनांतर्गत कार्य कराये गये ? (ख) नर्मदा घाटी योजना में भू-संरक्षण विभाग के कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी, कहां-कहां पदस्थ है तथा किन-किन निर्माण कार्यों को उक्त आवंटन के तहत कहां-कहां संपादित कराया गया ? इस योजना में कुल कितने निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत नर्मदा घाटी योजना संचालित नहीं की जा रही है. योजना संचालित नहीं होने के कारण शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) ''क'' के संदर्भ में जानकारी निरंक.

प्रदेश में परिवहन बैरियरों की संख्या एवं वसूली गई जुर्माना राशि

11. (*क्र. 44) **श्री उदय मुदलियार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने परिवहन बैरियर है, नामवार जानकारी देवें ? क्या कोई नया परिवहन बैरियर खोला जाना प्रस्तावित है ? अगर हां, तो किन-किन जगहों पर ? (ख) परिवहन बैरियरों में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 तक 9 टन से अधिक लोड वाले कितने वाहनों का जुर्माना किया गया एवं कितनी राशि शमन-शुल्क के रूप में वसूल की गई ? वर्षवार एवं बैरियरवार जानकारी देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) (i) प्रदेश में कुल 15 परिवहन बैरियर है. नामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. (ii) जी नहीं, कोई नया परिवहन बैरियर खोला जाना प्रस्तावित नहीं है. (ख) परिवहन बेरियरों में वर्ष, 2004-05 एवं 2005-06 तक ० टन से अधिक लोड वाले एवं निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध किये गये जुर्माना की जानकारी वर्षवार निम्न है :—

वर्ष	जुर्माना किये गये वाहनों की संख्या	प्राप्त शमन-शुल्क
2004-05	22775	2,97,38,800/-
2005-06	18114	2,36,34,880/-

वर्षवार एवं बेरियरवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''ब'' पर है.

प्रदेश में धान की खेती हेतु यूरिया की आपूर्ति

12. (*क्र. 376) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने लाख हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की जाती है एवं धान की खेती के लिये प्रदेश में कितनी मात्रा में यूरिया की आवश्यकता पड़ती है ? (ख) प्रश्नांक ''क'' के संबंध में बतावें कि वर्ष 2006-07 में कितनी-कितनी मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की जिम्मेदारी कौन-कौन सी शासकीय संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को दी गयी थी ? (ग) प्रश्नांश ''ख'' के संबंध में बतावें कि क्या इन संस्थाओं द्वारा यूरिया की आपूर्ति निर्धारित मात्रा व मांग के अनुरूप की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी कौन है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में लगभग 35 लाख हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की जाती है. धान की खेती के लिए प्रदेश में 3.64 लाख मेट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता निर्धारित की गई थी. (ख) वर्ष 2006-07 में कुल 4 लाख मेट्रिक टन यूरिया आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. कुल यूरिया आपूर्ति लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित हेतु 2.40 लाख मेट्रिक टन तथा

† परिशिष्ट ''दो''

निजी संस्थाओं हेतु 1.60 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था. विस्तृत विवरण ÷ संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. (ग) प्रदेश में यूरिया आपूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 4 लाख मेट्रिक टन से 10 प्रतिशत अधिक अर्थात् 4.40 लाख मेट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है. चूंकि प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति लक्ष्य से अधिक हुई है. अत: किसी के दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. जिलेवार विस्तृत जानकारी ÷ संलग्न प्रपत्र ''ब'' पर है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन दुकान

13. (*क्र. 178) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखंड जिला रायपुर में कुल कितनी राशन दुकानें किन-किन ग्रामों में है ? आश्रित ग्रामों के नाम सहित बतावें ? (ख) उक्त ग्रामों में राशन दुकानों का संचालन किनके-किनके द्वारा किया जा रहा है ? ग्राम एवं दुकानवार संचालक एवं संस्था के नाम सहित बतावें ? (ग) सत्र 2005-06 में उक्त ब्लाकों के किन-किन ग्राम में राशन दुकानों में राशन सामग्री नहीं मिलने एवं गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई ? ग्रामवार प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायपुर जिले के पलारी विकासखण्ड में 61 उचित मूल्य दुकानें एवं बलौदा बाजार विकासखण्ड में 57 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनके आश्रित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमश: परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' अनुसार है.

रायगढ़ जिले में छापे के दौरान जप्त मिट्टी तेल एवं चांवल

14. (*क्र. 74) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायगढ़ में दिनांक 28-10-2006 को विभाग द्वारा छापा मारकर मिट्टी तेल पकड़ा गया ? यदि हां, तो विभाग व पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? (ख) क्या उसी दिनांक को एस. एन. राइस मिल में जांच के दरम्यान एफ.सी.आई. मार्का का चावल पकड़ा गया ? यदि हां, तो कितनी तादाद में ? (ग) उक्त चावल कहां से आया था और किसके द्वारा लाया गया था ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां. दिनांक 28-10-2006 को खाद्य विभाग द्वारा थोक केरोसिन डीलर, फर्म लक्ष्मीनारायण केदारनाथ डीलर के यहां से अवैध मिट्टी तेल जप्त किया गया है तथा प्रकरण में विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ अभियोजन की कार्यवाही हेतु पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. (ख) जी हां. दिनांक 28-10-2006 को खाद्य विभाग द्वारा एस. एन. राईस मिल से एफ.सी.आई. मार्का वाले बोरी में संग्रहित 899.64 क्विंटल चावल जप्त किया गया. (ग) प्रारंभिक तौर पर राईस मिलर द्वारा जप्त चावल को स्टाक पंजी के आधार पर स्वयं के खाते का बताया है.

महासमुंद जिला स्थित देवरी परिवहन नाके की दूरी एवं स्थानान्तरण का कारण

15. (*क्र. 192) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के देवरी स्थित परिवहन नाके से रा.रा. क्र.-06 पर पड़ीसा सीमा की दूरी तथा पहले स्थित झिलमिला (सरायपाली) से उड़ीसा सीमा की दूरी क्या है ? (ख) उक्त परिवहन नाके को उड़ीसा सीमा के पास स्थित झिलमिला से देवरी स्थानान्तरण का क्या कारण है ? राजस्व आय में उक्त दोनों स्थानों की तुलनात्मक जानकारी (झिलमिला स्थित अंतिम वर्ष एव देवरी स्थित प्रथम वर्ष) देवें ? (ग) 31 अक्टूबर, 2006 की स्थिति में परिवहन नाके पर कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पदवार देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द यादव) : (क) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर- (i) भगतदेवरी स्थित परिवहन नाके से उड़ीसा सीमा की दूरी 60.60 कि. मी. है. (ii) झिलमिला (सरायपाली) से उड़ीसा सीमा की दूरी 26.40 कि. मी. है. (ख) उक्त परिवहन नाके झिलमिला के पास से वाहनों के आगे-पीछे के मार्गों से निकल जाने के कारण राजस्व में कमी आ रही थी. फलस्वरूप माह अगस्त, 2000 में ग्राम-भगतदेवरी में चेकपोस्ट स्थानांतरित किया गया है झिलमिला स्थित अंतिम वर्ष एवं भगतदेवरी स्थित चेकपोस्ट से प्रथम वर्ष में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न है :—

÷ परिशिष्ट ''तीन''

झिलमिला (सरायपाली) सितम्बर, 1999 से अगस्त, 2000 तक प्राप्त राजस्व	भगतदेवरी सितम्बर, 200 से अगस्त, 2001 तक प्राप्त राजस्व
रु. 1,22,56,310/-	रु. 2,25,48,185/-

(ग) 31 अक्टूबर, 2006 की स्थिति में परिवहन चेकपोस्ट भगतदेवरी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की पदवार संख्या निम्न है :—

1. परिवहन निरीक्षक	–	01
2. परिवहन उप-निरीक्षक	–	04
3. सहायक उप निरीक्षक	–	01
4. प्रधान आरक्षक	–	05
5. परिवहन आरक्षक	–	13
कुल		24

बेमेतरा एवं बेरला में रबी फसल के लिए बीजों का आवंटन

16. (*क्र. 272) **डॉ. चेतन वर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड बेमेतरा एवं बेरला में दिनांक 01-11-2006 तक कितने हेक्टेयर भूमि में रबी फसल की बोनी कार्य पूर्ण की जा चुकी है ? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में 01-11-2006 तक किन-किन फसलों के कितनी-कितनी मात्रा में बीजों का आवंटन किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन फसलों के बीजों की डिमांड विभाग द्वारा कब-कब की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) विकासखण्ड बेमेतरा एवं बेरला में दिनांक 01-11-2006 तक क्रमशः 15389 हेक्टेयर एवं 9221 हेक्टेयर भूमि में रबी फसल की बोनी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में 01-11-2006 की स्थिति में विकासखण्ड बेमेतरा में रबी फसलों का 110.40 क्विंटल बीज एवं विकासखण्ड बेरला में रबी फसलों का 291.43 क्विंटल बीज भण्डारित किया जा चुका है. फसलवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. विभाग द्वारा दिनांक 4-10-2006 को विकासखण्डवार रबी फसलों के बीजों की मांग की गई. रबी बीज मांग का फसलवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

बिलासपुर जिले में उद्योगों द्वारा निर्मित कृषि खाद की गुणवत्ता की जांच

17. (*क्र. 93) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक-154 दिनांक 3 अगस्त, 2006 में दिये उत्तर के परिपालन में कृषि खाद निर्मित करने वाले कौन-कौन से कारखानों को बंद कराया गया था ? (ख) कारखानों को बंद कराते समय अमानक स्तर की कितनी-कितनी मात्रा में खाद जप्त अथवा राजसात की गयी ? (ग) उक्त कारखानों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि (श्री ननकीराम कंवर) : (क) गत विधान सभा सत्र में तारांकित प्रश्न क्र.-154 के तारतम्य में दिनांक 3 अगस्त, 2006 को दिये गये प्रश्नांश "क" के प्रतिउत्तर में बिलासपुर जिले में कृषि संबंधी उर्वरक निर्मित करने वाले निम्नलिखित उद्योगों का उल्लेख किया गया है :—

1. मेसर्स बी. ई. सी फर्टिलाइजर्स लि., सेक्टर-ए सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर.

2. मेसर्स नर्मदा फास्फेट लि., ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर.

उक्त कारखानों को बंद नहीं कराया गया है, अपितु विक्रय पंजीयन निलंबित किया गया.

† परिशिष्ट "चार"

(ख) इन कारखानों में ग्रेडवार अमानक पाये गये उर्वरक की मात्रा निम्नानुसार है :—

क्र.	विनिर्माता का नाम	खाद/उर्वरक का नाम		मात्रा (मेट्रिक टन)
1.	मेसर्स नर्मदा फास्फेट लि., ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर.	(1)	20:20:00	604
		(2)	18:18:10	130
		(3)	12:32:16	49.60
		(4)	20:20:10	33
			योग	816.60
2.	मेसर्स बी. ई. सी. फर्टिलाइजर्स लि. सेक्टर-ए सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर.		20:20:00	150
			12:32:16	180.250
			योग	330.25
			कुल योग	1146.85

नियमानुसार प्रयोगशाला विश्लेषण में अमानक पाये गये उक्त उर्वरक स्कंध का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है. राजसात या जप्त नहीं किया गया है. (ग) उक्त उर्वरक निर्माता कंपनियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई है :-

(1) संचालनालय कृषि के पत्र क्रमांक-378 दिनांक 25-07-2006 एवं 418 दिनांक 03-08-2006 द्वारा विनिर्माता नर्मदा फास्फेट लिमिटेड, ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर को कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण चाहा गया. कंपनी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषप्रद नहीं माना गया.

(2) तद्उपरांत संचालनालय कृषि के आदेश क्रमांक 493 दिनांक 30-08-2006 द्वारा उक्त कंपनी द्वारा निर्मित खाद/उर्वरकों के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया तथा कंपनी को जारी की गई विक्रय पंजीयन प्रमाण-पत्र को निलंबित किया गया.

(3) उप संचालक कृषि, बिलासपुर के आदेश क्र. 912 दिनांक 02-08-06 द्वारा उक्त कंपनी द्वारा निर्मित खाद/उर्वरक स्कंध, कुल मात्रा 816.60 मेट्रिक टन के विक्रय//वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया.

(4) उप संचालक कृषि, बिलासपुर के आदेश क्र. 3749 दिनांक 30-09-06 द्वारा मेसर्स बी. ई. सी. फर्टिलाइजर्स लि. सेक्टर-ए सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर द्वारा निर्मित खाद/उर्वरक स्कंध, मात्रा 330.25 मेट्रिक टन के विक्रय/वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया.

कबीरधाम जिले में सुतियापाट जलाशय का निर्माण

18. (*क्र. 373) **मोहम्मद अकबर** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकास खण्ड सहसपुर लोहारा में निर्माणाधीन सुतियापाट जलाशय का अनुबंध रद्द कर पुन: पूर्ववत कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब, क्यों, कितने शर्तों के अधीन एवं किन नियमों तथा प्रावधानों के अन्तर्गत ? इस दिनांक को कुल कितने का कार्य शेष था ? (ख) 31-10-2006 की स्थिति में आईटमवार कौन-कौन सा निर्माण कितना-कितना पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना-कितना शेष है ? कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी हां. निर्माणाधीन सुतियापाट जलाशय का अनुबंध दिनांक 17-5-2005 को रद्द कर दिनांक 25-6-2006 को पूर्ववत् कार्य करने की अनुमति, कार्यहित एवं शासन के ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 30 जून, 2006 तक कार्य पूर्ण करने की शर्त पर, अनुबंध की कंडिका 4.48.2 में प्रदत्त निहित अधिकारों एवं नियमों के अन्तर्गत, प्रदान की गई थी. इस दिनांक को कुल रुपये 3385 लाख का कार्य शेष था. (ख) दिनांक 31-10-2006 की स्थिति में आईटमवार निर्माण एवं शेष कार्यों की जानकारी ÷ संलग्न परिशिष्ट में है. समस्त शेष कार्यों को 30 जून, 2007 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है.

÷ परिशिष्ट "पांच"

जिला बिलासपुर में धान के लिए फसल बीमा योजना

19. (*क्र. 419) **श्री चुरावन मंगेशकर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में खरीफ फसल धान की कितने हेक्टेयर में बोनी की गयी है ? (ख) कंडिका ''क'' के संबंध में फसल बीमा योजना लागू की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बिलासपुर जिले में खरीफ 2006 में फसल धान की 2,86,849 (दो लाख छियासी हजार आठ सौ उनचास) हेक्टेयर में बोनी की गयी है. (ख) जी हां. बिलासपुर जिले की सभी तहसीलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र घोषित किया गया है.

पाटन ब्लॉक में मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं की जानकारी

20. (*क्र. 310) **श्री भूपेश बघेल** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दुर्ग के पाटन ब्लॉक में जल संसाधन एवं राहत मद से कितने मध्यम, लघु सिंचाई योजना पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? अलग-अलग नाम बतावें ? (ख) सिंचाई योजना जो पूर्ण है उनकी सिंचाई क्षमता कितनी है और वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में कितने-कितने रकबे में सिंचाई की गयी है ? (ग) अपूर्ण सिंचाई योजना कब से अपूर्ण है एवं कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जिला दुर्ग के पाटन ब्लॉक में कोई भी मध्यम सिंचाई योजना पूर्ण या अपूर्ण नहीं है, 38 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण एवं 04 लघु सिंचाई योजना अपूर्ण है. योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 एवं 2 में दर्शित है. (ख) सिंचाई योजना जो पूर्ण हैं उनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता एवं योजना से वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में सिंचित रकबे की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 में दर्शित है. (ग) सिंचाई योजना कब से अपूर्ण है एवं पूर्ण किये जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 में दर्शित है.

जांजगीर-चांपा जिले में पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां

21. (*क्र. 223) **श्री मोतीलाल देवांगन:** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने लोगों को कहां-कहां मत्स्य पालन के लिए तालाब पट्टे पर दिये गए हैं ? (ख) वर्ष 2004-05 से अक्टूबर 2006 तक कितनी समितियों को शासन की योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है ? (ग) जांजगीर-चांपा जिले में मत्स्य विभाग को कितनी राशि का आवंटन प्रदाय किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों की संख्या 75 है तथा इनमें से 63 समितियों को 171 तालाब 956.139 हे. त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिए गए हैं. (ख) वर्ष 2004-05 से अक्टूबर 2006 तक 09 समितियों को शासन की योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है. (ग) जांजगीर-चांपा जिले में मत्स्य विभाग को वर्ष 2004-05 में राशि रु. 25.964, वर्ष 2005-06 में राशि रु. 32.6705 एवं 2006-07 में राशि रुपये 33.755 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया है.

रतनजोत जर्मप्लाज्म की चोरी की जांच एवं कार्यवाही

22. (*क्र. 400) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रतनजोत के जर्मप्लाज्म चोरी किये जाने के संबंध में जांच समितियों का गठन किया गया ? यदि हां, तो कौन सी समितियां ? (ख) जांच में किन-किन को दोषी पाया गया है ? नाम व पदनाम सहित जानकारी दें ? (ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) रतनजोत जर्मप्लाज्म के अलावा विश्वविद्यालय में और कौन-कौन से जर्मप्लाज्म है, इनकी संख्या एवं सुरक्षा के क्या उपाय हैं ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां. छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग के आदेश क्रमांक-404 दिनांक 31-1-2006 द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रतनजोत जर्मप्लाज्म की चोरी एवं आपराधिक षडयंत्रपूर्वक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई. (ख) जांच समिति ने जांच पूर्ण कर ली है. जांच

पूर्ण कर ली है. जांच प्रतिवेदन पर निर्णय शासन स्तर पर विचाराधीन है. शेष का प्रश्न नहीं उठता. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक. (घ) रतनजोत जर्मप्लाज्म के अलावा विश्वविद्यालय में अन्य फसलों के 26,334 जर्मप्लाज्म हैं. फसलवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	फसल का नाम	जर्मप्लाज्म की संख्या	जर्मप्लाज्म संग्रहण स्थल
1.	धान	23250	रायपुर
2.	कोदो	103	जगदलपुर
3.	तोरिया	104	जगदलपुर
4.	तिवड़ा	1600	रायपुर
5.	अलसी	550	रायपुर
6.	लोबिया	50	रायपुर
7.	उड़द	4	रायपुर
8.	चना	23	रायपुर
9.	कुंदरू	32	रायपुर
10.	जिमीकंद	18	रायपुर
		39	जगदलपुर
11.	शकरकंद	93	रायपुर
		50	जगदलपुर
12.	टेपिओका	8	रायपुर
		36	जगदलपुर
13.	तिखुर	2	रायपुर
14.	केयोकंद	1	रायपुर
		10	जगदलपुर
15.	अरबी	121	जगदलपुर
16.	रतालु	129	जगदलपुर
17.	आमी अदरक	1	रायपुर
18.	आमी हल्दी	1	रायपुर
19.	हल्दी देशी	2	रायपुर
20.	आम	2	रायपुर
21.	सीताफल	2	रायपुर
22.	इमली	11	रायपुर
23.	बैंगन	63	रायपुर
24.	बरबट्टी	18	रायपुर
25.	काजू	9	जगदलपुर
26.	बांस	2	जगदलपुर

उपरोक्त सभी फसलों के जनन द्रव्यों (जर्मप्लाज्म) को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों पर प्रतिवर्ष खेतों में उगाकर संरक्षण किया जा रहा है. धान जर्मप्लाज्म को मध्यम अवधि के माड्यूल में तथा अन्य फसलों के जर्मप्लाज्म को ट्रंक्स, पीजनहोल्स, बाक्स तथा अलमारियों में तत्संबंधित विभागों में सुरक्षित रखा गया है.

राईस मिलरों द्वारा चांवल जमा नहीं करने पर कार्यवाही

23. (*क्र. 317) **श्री चन्द्रभान बारमते :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के कितने राईस मिलरों ने कस्टम मिलिंग के नाम पर मार्केटिंग फेडरेशन से धान लेकर दिनांक 31-10-2006 तक चांवल जमा नहीं किया है ? (ख) चांवल जमा नहीं करने वाले राईस मिलरों पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के 4 राईस मिलर्स द्वारा खरीफ वर्ष 2005-06 में कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए धान के विरुद्ध निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं किया गया है. (ख) उपरोक्त 04 राईस मिलर्स द्वारा जमा कराए जाने हेतु शेष 25.19 क्विंटल चावल की राशि रुपये 35,414.92 उन्हें देय कस्टम मिलिंग की राशि से वसूल की जा चुकी है.

ज्वलनशील द्रव्य परिवहन की शर्तें

24. (*क्र. 302) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ज्वलनशील तरल द्रव्य परिवहन करने हेतु टेंकर के पंजीयन की क्या-क्या शर्तें हैं ? (ख) प्रदेश में ज्वलनशील तरल द्रव्य परिवहन करने हेतु कितने टेंकर पंजीकृत हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ज्वलनशील तरल द्रव्य परिवहन करने हेतु टेंकर के पंजीयन की वही शर्तें हैं, जो किसी अन्य माल वाहनों के पंजीयन की होती है. पंजीयन हेतु शर्तें केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 में वर्णित है. (ख) प्रदेश में टेंकर के रूप में कुल 950 वाहनें पंजीबद्ध है.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत बीजों की खरीदी

25. (*क्र. 405) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2003 से 30 मार्च, 2006 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत धनिया एवं लहसून बीज सहित किन-किन जींसो के बीज की खरीदी की गई ? मूल्य सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका ''क'' के फसलों के बीज प्रदेश में किन-किन जिले के किसानों को वितरित किये गये ? (ग) कंडिका ''क'' के बीजों हेतु निविदायें कब-कब बुलाई गई ? बीज की सप्लाई हेतु किन-किन संस्थाओं को आर्डर दिया गया ? क्या वे पंजीकृत हैं ? (घ) कंडिका ''क'' के बीजों की खरीदी में क्या शिकायतें भी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कृषि (उद्यानिकी) विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2003 से 30 मार्च 2006 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत धनिया, लहसून एवं मिर्च बीज की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से की गई. मूल्य सहित ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र.	फसल	प्रजाति	मात्रा	दर (रुपये में)	राशि (रुपये में)
1.	मिर्च	बी.एस.एस. 141	480 कि.ग्रा.	20444 प्रति किलो	98,13,120.00
2.	लहसून	जी. 50, जी. 323	905.54 क्विं.	6050 प्रति क्विं.	54,78,516.00
3.	धनिया	पी. एच. 1	50 क्विं.	7000 प्रति क्विं.	3,50,000.00
				योग	1,56,41,636.00

(ख) मिर्च बीज का वितरण राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य के चयनित समस्त 7 जिलों दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा एवं जगदलपुर में किया गया. लहसून का वितरण दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा में तथा धनिया बीज का वितरण दुर्ग जिले में किया गया. (ग) कंडिका ''क'' के बीजों हेतु वर्ष 2002-03 में दिनांक 6-4-2002 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर ''पंजीयन सह दर संविदा'' हेतु निविदा आमंत्रित की गई. तदउपरांत वर्ष 2003-04 में दिनांक 2-5-2003 को विभिन्न समाचार पत्रों में पंजीयन हेतु सूचना प्रकाशित कराई गई. वर्ष 2005-06 में दिनांक 1-4-2005 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर ''पंजीयन सह दर संविदा'' हेतु निविदा आमंत्रित की गई. लहसून एवं धनिया बीज की खरीदी ''राष्ट्रीय बीज निगम'' से की गई है. ''राष्ट्रीय बीज निगम'' भारत सरकार का एक उपक्रम है तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड उक्त निगम का एक अधिकृत विक्रेता है. मिर्च बीज की खरीदी मेसर्स बीजोशीतल सीड्स जालना से की गई, जो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम में पंजीकृत है. (घ) जी हां, लहसून बीज खरीदी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है. जिसका परीक्षण करने पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई अत: किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ माईनर उपसंभाग मानपुर में प्राप्त शिकायतें

1. (क्र. 20) **श्री देवव्रत सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-राजनांदगांव के जल संसाधन संभाग राजनांदगांव के अन्तर्गत डोंगरगढ़ माईनर उपसंभाग, मानपुर तहसील में औंधी क्षेत्र में तथा मोहला वि. ख. में कुल कितने टैंक, व्यापवर्तन, एनीकट निर्माण के एक वर्ष के अंदर क्षतिग्रस्त एवं बह जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? (ख) राजनांदगांव जल संसाधन संभाग के अंतर्गत काम के बदले अनाज योजना तथा अन्य विभागीय मदवार कलेक्टर सेक्टर के तहत जिला पंचायत से स्वीकृत स्टापडेम, एनीकट, टैंक के निर्माण के एक वर्ष पश्चात् क्षतिग्रस्त और बह जाने की शिकायतों पर दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव अंतर्गत विकासखण्ड, मानपुर के औंधी जलाशय के स्पील चैनल आर. डी. 16 मी. पर स्थित शूटफॉल के क्षतिग्रस्त होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है. (ख) राजनांदगांव जल संसाधन संभाग के अंतर्गत औंधी जलाशय के स्पील चैनल के आर. डी. 16 मी. में शूटफॉल विभागीय मद से वर्ष 2005-06 में निविदा के अंतर्गत कराया गया था तथा एक वर्ष के अंदर क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थापित कर दोनों की 2-2 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोककर दंडित किया गया. काम के बदले अनाज योजना के तहत वर्ष 2005-06 में स्वीकृत पारागांव एनीकट का विस्तार एवं मरम्मत का कार्य प्रगति पर है. माह अगस्त, 2006 में हुई अतिवृष्टि से एफलक्स बंड की मिट्टी आंशिक रूप से बह गई एवं बांयी विंगवाल भी आंशिक क्षतिग्रस्त हुई. चूंकि क्षति अतिवृष्टि के कारण हुई, अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई.

राजनांदगांव जिले में संचालित दाल-भात केन्द्र

2. (क्र. 45) **श्री उदय मुदलियार :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कितने दाल-भात केन्द्र, कहां-कहां संचालित हैं ? दाल-भात केन्द्रों को संचालित करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं के नाम की जानकारी देवें. (ख) संचालित दाल-भात केन्द्रों को कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर प्रतिमाह चावल प्रदान किया जाता है ? केन्द्रवार, मात्रावार जानकारी देवें.

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) दाल-भात केन्द्रों को बी. पी. एल. दर पर चावल प्रदाय किया जाता है. विगत दो माहों में केन्द्रवार आवंटित चावल की मात्रा प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवा केन्द्र खोलने हेतु कृषि स्नातकों के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण की योजना

3. (क्र. 191) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्नातकों को "कृषि सेवा केन्द्र" खोलने हेतु प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने की योजना कब से प्रारंभ की गई है ? (ख) वर्ष 2005-06 में कितने कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण दिया गया ? (ग) रायपुर एवं महासमुन्द जिले में उक्त अवधि में प्रशिक्षित कृषि स्नातकों द्वारा कितने "कृषि सेवा केन्द्र" प्रारंभ किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस केन्द्र योजना के तहत कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र, जिनमें कृषि सेवा केन्द्र भी सम्मिलित है, खोलने हेतु बेरोजगार कृषि स्नातकों के नि:शुल्क प्रशिक्षण की योजना राज्य में 14 जून, 2004 से प्रारंभ है. (ख) निरंक. (ग) प्रश्नांक "ख" के तारतम्य में जानकारी निरंक.

धार्मिक पर्यटन स्थल सिवरी नारायण में महानदी पर प्रस्तावित स्टापडेम

4. (क्र. 369) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिवरी नारायण नगर में महानदी स्टापडेम के निर्माण का कार्य बजट 2006-2007 में सम्मिलित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

---

† परिशिष्ट "छ:"

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में महानदी पर ''शिवरीनारायण के पास एनीकट'' योजना वित्त वर्ष 2006-07 के विभागीय मुद्रित बजट में सम्मिलित है. योजना को परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त है तथा प्राक्कलन बोधी प्रकोष्ठ में परीक्षणाधीन है. परीक्षण उपरांत वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर योजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की सकेगी. तद्परांत ही योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना संभव होगा.

समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान की खरीदी

5. (क्र. 372) **मोहम्मद अकबर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने केन्द्र शासन को पत्र लिखकर धान खरीदी में हुई हानि की क्षतिपूर्ति की मांग की थी ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों का कुल कितने का दावा प्रस्तुत किया गया है ? अब तक कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है ? प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में अलग-अलग धान खरीदी में कुल कितना लाभ हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां. प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग के पत्र दिनांक 20-01-2004 द्वारा खरीफ वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में हुई हानि राशि रुपये 803.12 करोड़ की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया. भारत सरकार से हानि प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त नही हुई है. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रावधानित प्रासंगिक व्ययों का पुनरीक्षण राज्य सरकार के अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत किए जाने के उपरांत किया जाना है, अत: अब तक खरीफ वर्ष 2000-01 का अंकेक्षित लेखा भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है. (ख) खरीफ वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में राज्य शासन को कोई लाभ नहीं हुआ है. खरीफ वर्ष 2005-06 का आडिट नहीं हुआ है, परन्तु शासन को कोई हानि नहीं हुई है.

श्रम विभाग की महत्वपूर्ण फाइलों के संबंध में

6. (क्र. 377) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि मंत्रालय से श्रम विभाग की महत्वपूर्ण फाइलें गायब है ? यदि हां, तो फाइलों की संख्या तथा कौन-कौन से प्रकरणों की फाइलें गायब हैं ? (ख) प्रश्नांश ''क'' के संबध में बतावें कि, फाईलों के गायब होने के प्रकरण में कौन-कौन से विभागीय अधिकारी-कर्मचारी दोषी है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 222) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मंडी का नाम	वर्ष	कुल आय	राज्य शासन की अधिसूचना दि. 30-10-2000 के अनुसूची (एक) के अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
नैला-जांजगीर	2004-05	1,10,02,018	50,000,00
	2005-06	1,15,92,626	48,000,00
चांपा	2004-05	45,75,686	22,49,932
	2005-06	44,24,195	20,03,841

प्रपत्र "ब"

राज्य विपणन विकास निधि से कराये गये विकास कार्यों के नाम, स्थान एवं व्यय की गई राशि

मंडी का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम/स्थान	व्यय की गई राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
नैला-जांजगीर	2004-05	1. मुख्यमंडी प्रांगण में आंतरिक कांक्रीट सड़क कार्य.	20,13,460
		2. उपमंडी बलोदा में कव्हर्ड शेड निर्माण कार्य.	7,66,991
	2005-06	निरंक	निरंक
चांपा	2004-05	1. उपमंडी भैसमा में कव्हर्ड शेड	9,26,323
		2. उपमंडी बिर्रा में कव्हर्ड शेड	7,41,474
	2005-06	निरंक	निरंक

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 44) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	बेरियर का नाम
1.	चिल्फी
2.	मानपुर
3.	बागबाहरा
4.	केंवची
5.	भगतदेवरी
6.	घुटरीटोला
7.	घनपुंजी
8.	छोटामानपुर
9.	शंख
10.	कोंटा
11.	रेंगारपाली
12.	चांटी
13.	वाड्रफनगर
14.	रामानुजगंज
15.	पाटेकोहरा

उपरोक्तानुसार 15 बेरियर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं में स्थापित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त दो उप जांच चौकी (बेरियर) भी स्थापित किये गये हैं, जो क्रमशः बरमकेला (कटंगपाली), जॉच चौकी को रेंगारपाली में एवं लावाकेरा जांच चौकी को शंख जांच चौकी के अधीनस्थ रखा गया है.

प्रपत्र "ब"

परिवहन बैरियर में वर्ष 2004-05 एवं 2005-2006 में 09 (नौ) टन से अधिक लोड वाले एवं निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध किये गये चालान एवं वसूल किये गये शमन-शुल्क की जानकारी

क्र.	बैरियर का नाम	वर्ष 2004-2005		वर्ष 2005-06	
		चालान संख्या	प्राप्त शमन-शुल्क	चालान संख्या	प्राप्त शमन-शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिल्की	2707	25,80,000	1064	14,89,700.00
2.	मानपुर	65	58,300	84	10,430.00
3.	बागबाहरा	497	4,76,000	410	4,66,650.00
4.	केंवची	631	6,45,900	464	5,51,800.00
5.	भगतदेवरी	5084	67,51,800	1544	19,91,700.00
6.	घुटरीटोला	177	1,72,500	60	71,550.00
7.	धनपुंजी	36	36,400	18	18,200.00
8.	छोटामानपुर	152	1,86,000	381	4,30,700.00
9.	शंख	2322	30,15,800	1268	17,79,200.00
10.	कोंटा	63	62,800	136	1,94,000.00
11.	रेंगारपाली	70	1,15,900	254	3,68,000.00
12.	चांटी	08	5,400	05	5,600.00
13.	बाड्रफनगर	1532	17,47,100	2120	24,49,800.00
14.	रामानुजगंज	472	4,91,100	998	7,26,100.00
15.	पाटेकोहरा	8959	1,33,93,800	9308	1,30,81,450.00
	योग	22775	2,97,38,800/-	18114	2,36,34,880/-

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 376) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2006-07 (खरीफ मौसम) में यूरिया आपूर्ति की निर्धारित लक्ष्य की जानकारी (संस्थागत एवं निजी)

क्र. (1)	जिला (2)	संस्थागत (शासकीय) (3)	निजी (4)	योग (5)
1.	रायपुर	32700	21800	54500
2.	महासमुन्द	14580	9720	24300
3.	धमतरी	22320	14880	37200
4.	दुर्ग	29700	19800	49500
5.	राजनांदगांव	15300	10200	25500
6.	कबीरधाम	8580	5720	14300
7.	बिलासपुर	29100	19400	48500
8.	जांजगीर	32700	21800	54500
9.	कोरबा	2760	1840	4600
10.	रायगढ़	21600	14400	36000
11.	सरगुजा	15420	10280	25700
12.	कोरिया	2460	1640	4100
13.	जगदलपुर	3900	2600	6500
14.	दंतेवाड़ा	1560	1040	2600
15.	कांकेर	5700	3800	9500
16.	जशपुर	1620	1080	2700
	योग	**240000**	**160000**	**400000**

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2006-07 (खरीफ मौसम) में यूरिया आपूर्ति की जानकारी (संस्थागत एवं निजी)

क्र. (1)	जिला (2)	संस्थागत (शासकीय) (3)	निजी (4)	योग (5)
1.	रायपुर	40711	41960	82671
2.	महासमुन्द	17778	15832	33610
3.	धमतरी	10426	28664	39090
4.	दुर्ग	34251	41152	75403
5.	राजनांदगांव	14436	13365	27801
6.	कबीरधाम	8943	1720	10663
7.	बिलासपुर	21480	34320	55800
8.	जांजगीर	22404	20430	42834
9.	कोरबा	2472	716	3188
10.	रायगढ़	15367	18126	33493
11.	सरगुजा	7946	5974	13920
12.	कोरिया	1669	320	1989
13.	जगदलपुर	4862	3065	7927
14.	दंतेवाड़ा	706	1395	2101
15.	कांकेर	6976	1645	8621
16.	जशपुर	606	375	981
	योग	**211033**	**229059**	**440092**

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 272) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वि. ख. बेमेतरा एवं बेरला में दि. 1-11-06 की स्थिति में भंडारित बीज की जानकारी

(ईकाई-क्विं. में)

क्र.	विकासखंड	फसल का नाम	प्रक्रिया केन्द्र एवं शास. कृषि प्रक्षेत्रों द्वारा	बीज मिनीकीट	महायोग	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बेमेतरा	गेहूं	32.00	0.00	32.00	-
2.		राई सरसों	3.30	8.60	11.90	-
3.		अलसी	1.44	1.95	3.39	-
4.		तिल	0.00	0.18	0.18	-
5.		कुसुम	8.96	2.60	11.56	-
6.		सूरजमुखी	0.00	1.00	1.00	-
7.		मटर	0.32	0.80	1.12	-
8.		मसूर	0.00	1.60	1.60	-
9.		चना	25.75	21.60	47.35	-
10.		तोरिया	0.30	0.00	0.30	-
		योग	**72.07**	**38.33**	**110.40**	
1.	बेरला	गेहूं	98.00	0.00	98.00	-
2.		राई सरसों	0.12	7.90	8.02	-
3.		अलसी	2.00	2.70	4.70	-
4.		तिल	1.76	0.18	1.94	-
5.		कुसुम	0.00	1.80	1.80	-
6.		सूरजमुखी	0.00	1.00	1.00	-
7.		मटर	0.00	0.80	0.80	-
8.		मक्का	0.00	0.30	0.30	-
9.		मसूर	0.00	1.60	1.60	-
10.		चना	150.15	23.12	173.27	-
		योग	**252.03**	**39.40**	**291.43**	

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2006-07 में रबी बीज की मांग दिनांक 04-10-06

इकाई- (क्विं. में)

क्र.	फसल का नाम	विकासखण्ड	
		बेमेतरा	बेरला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गेहूं	72.00	138.00
2.	चना	220.00	144.00
3.	मसूर	9.00	5.00
4.	तिवड़ा	0.00	2.00
5.	मटर	3.00	6.00
6.	अलसी	5.00	6.00
7.	सरसों	3.00	3.00
8.	तोरिया	1.00	2.00
9.	कुसुम	4.00	2.00
10.	सूर्यमुखी	7.00	8.00
11.	मूंग	1.00	2.00
12.	तिल	0.50	0.50
	कुल योग	**325.50**	**318.50**

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 373) के भाग (ख) की जानकारी]

दिनांक 31-10-2006 की स्थिति में लम्प-सम एकमुश्त अनुबंध के अन्तर्गत आईटमवार निर्माण एवं शेष कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है

(वित्तीय जानकारी लाख रु. में)

स. क्र.	आईटम का विवरण	अनुबंध की राशि	दिनांक 31-10-2006 तक किया गया कार्य		शेष कार्य	
			वित्तीय (भुगतान)	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बांध पर मिट्टी का कार्य, स्लूस निर्माण एवं सिल्हाटी व्यपवर्तन जीर्णोद्धार कार्य.	1651.20	614.09	52%	1037.11	48%
2.	उलट नहर, वेस्टवियर एवं फाल का निर्माण कार्य.	813.835	737.16	97%	76.675	03%
3.	लिंक नहर बांयी तट मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली तथा इनके पक्के कार्यों का निर्माण कार्य.	637.478	398.43	57%	239.048	43%
4.	दांयी तट नहर एवं वितरण प्रणाली तथा इनके पक्के कार्यों का निर्माण कार्य.	790.974	281.84	56%	509.134	44%
5.	आवासीय एवं गैर आवासी भवन, निरीक्षण गृह, भंडार गृह, पहुंच मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन प्रकरण तैयार करना.	316.507	141.00	63%	175.507	37%
	योग	4210.00	2172.52	65% (औसत)	2037.48	35% (औसत)

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "छ:"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 45) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिले में वर्तमान में संचालित दाल-भात केन्द्रों की जानकारी

क्र.	दाल-भात केन्द्र संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
(1)	(2)
1.	महावीर इन्टरनेशनल धर्मार्थ सेन्टर, राजनांदगांव
2.	मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति, डोंगरगढ़
3.	मानव कल्याण समिति, डोंगरगढ़
4.	अरूणोदय शिक्षण संस्थान, डोंगरगांव
5.	राष्ट्रीय सेवा समूह छुईखदान
6.	शारदा महिला समूह एवं किशोरी महिला समूह, मानपुर
7.	ढेलाबाई चैरीटेबल ट्रस्ट, खैरागढ़
8.	वनांचल शिक्षण समिति, चौकी
9.	बर्फानी अनुसंधान संस्थान, राजनांदगांव

प्रपत्र "ब"

राजनांदगांव जिले में संचालित दाल-भात केन्द्रों को विगत दो माहों में आवंटित चावल की जानकारी

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. (1)	दाल-भात केन्द्र संचालनकर्ता एजेंसी नाम (2)	सितंबर, 2006 (3)	अक्टूबर, 2006 (4)
1.	महावीर इन्टरनेशनल धर्मार्थ सेन्टर, राजनांदगांव	150	100
2.	मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति, डोंगरगढ़	50	60
3.	मानव कल्याण समिति, डोंगरगढ़	60	60
4.	लघु व्यापारी संघ मोहला	20	माह अक्टूबर, 06 से बंद
5.	अरूणोदय शिक्षण संस्थान, डोंगरगांव	40	60
6.	राष्ट्रीय सेवा समूह छुईखदान	40	60
7.	शारदा महिला समूह एवं किशोरी महिला समूह, मानपुर	60	60
8.	ढेलाबाई चैरीटेबल ट्रस्ट, खैरागढ़	20	60
9.	वनांचल शिक्षण समिति, चौकी	20	60
10.	बर्फानी अनुसंधान संस्थान, राजनांदगांव	100	100

टीप :- क्रमांक 10 पर उल्लेखित दाल-भात माह सितंबर, 2006 से प्रारंभ हुआ है, जबकि क्रमांक 4 पर उल्लेखित दाल-भात केन्द्र माह अक्टूबर, 2006 से बंद है.